मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
फोन- 0755-2708493 ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/ 330 /1857412/2024/26-1(पार्ट-5) भोपाल दिनांक 13/03/2025

प्रति,

समस्तअपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल।

विषय - दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जा रहे विज्ञापन की जानकारी उपलब्ध कराये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branchविरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 में दिये गये निर्देश के परिपालन में विभागांतर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतुविभागों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा की जाकर विशेष भर्ती अभियान के तहत पद पूर्ति की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

उक्त अनुक्रम में लेख है कि दिव्यांगजनों एवं विभागों को एक ही स्थान पर शासन द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं विशेष भर्ती अभियान के तहत जारी किये जा रहे विज्ञापन की जानकारी प्राप्त हो सकें, इसे दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पोर्टल (https://socialjustice.mp.gov.in) पर प्रावधान किया गया है, जिसका शीर्षक है-दिव्यांग आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं विज्ञापन ।

अतः अनुरोध है कि आपके विभागांतर्गत विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जा रहे विज्ञापनों की एक प्रति कार्यालय आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरणसंचालनालय(Email- dir.socialjustice@mp.gov.in) को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु अपने अधिनस्थ कार्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग

पृ.क्रमांक/ 331 /18574/2/2024/26-1 (फा.से.)　　भोपाल, दिनांक 13/03/2025

प्रतिलिपि-

1. ~~उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन~~
2. महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
6. महासचिव,नेशनल फेडरेशन आफ द ब्लाइंड नई दिल्ली
7. समस्त नोडल अधिकारी,शासन के समस्त विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत।

प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग